न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	48/18	2018/00046	04.07.2018	सरकार बनाम भगवत प्रसाद व अन्य	26.02.2026	1 लगायत 5

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 48/2018 (2018/00046)

उनवान प्रकरण

प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–भरतपुर –आवेदक

बनाम

1. भगवत प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री कल्याण प्रसाद गुप्ता उम्र 58 वर्ष, जाति महाजन–एफबीओ व मालिक–फर्म–मिश्रीलाल भगवत प्रसाद, नया बाजार गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर निवासी शुक्ल कॉलोनी, नहर रोड, गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर (राज.)
2. सनत कुमार अग्रवाल–डाईरेक्टर–फर्म THE PHOENIX TRADEVISION PRIVATE LIMITED, H-3, 1ST FLOOR, SOUTH WING, GLOBE HOUSE, NEAR JAIPUR GOLDEN, TRANSPORT NAGAR, JAIPUR-302004 (Rajasthan) निवासी 70, मोहन नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज)।
3. विराट अग्रवाल–डाईरेक्टर–फर्म THE PHOENIX TRADEVISION PRIVATE LIMITED, H-3, 1ST FLOOR, SOUTH WING, GLOBE HOUSE, NEAR JAIPUR GOLDEN, TRANSPORT NAGAR, JAIPUR-302004 (Rajasthan) निवासी 70, मोहन नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (राज)। –अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

U/S 3(1)(zf))(c)(i) of FSSA 2006

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से :– श्री वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर
अप्रार्थी की ओर से :– श्री भानू कुमार सिंघल

निर्णय दिनांक: 26.03.2026

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.09.2016 को 12.30 पी.एम. पर दौराने गस्त फर्म–मिश्रीलाल भगवत प्रसाद, नया बाजार गंगापुर सिटी, जिला सवाई

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:24 IST
Reason: SelfAttested

माधोपुर पर निरीक्षण हेत पहुंचा। वहां पर निरीक्षण के समय भगवत प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री कल्याण प्रसाद गुप्ता उम्र 58 वर्ष, जाति महाजन मौजूद था को मैने अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर भगवत प्रसाद गुप्ता ने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। भगवत प्रसाद गुप्ता अपनी दुकान पर तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य सामग्री आम जनता को विक्रय करता है। मैने भगवत प्रसाद गुप्ता से वर्ष 2016 का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स दिखाने को कहा तो उसने वर्ष 2016 का खाद्य लाईसेन्स न0 12214038000272 दिनांक 17.06.2016 आवेदक को दिखाया एवं उसकी एक स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय दुकान पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु मिर्च पाउडर तीखालाल (एवरेस्ट) 500 ग्राम पैक के 10 पैक दुकान में एक लकडी की रैक में रखी हुये थे का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर भगवत प्रसाद गुप्ता से उनमे से शुद्वता एवं लेबल की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लकडी की रैक में रखे हुए मिर्च पाउडर तीखालाल (एवरेस्ट) 500 ग्राम पैक के 10 पैको मे से 4 पैक शुद्वता एवं लेबल की जाचं हेतु नमूना लेने बाबत खरीदे जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 600/– रूपये अक्षरे छः सौ रूपये नगद देकर खरीद का बिल प्राप्त किया जिस पर विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर करने पर मैने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिर्च पाउडर तीखालाल (एवरेस्ट) 500 ग्राम पैक के 4 पैको को चार साफ, सूखे व खाली प्लास्टिक के डिब्बों में अलग–अलग रखकर ढक्कन बन्द किया तथा चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक डिब्बे पर अलग–अलग चिपकाकर डिब्बों को अलग–अलग ब्राउन पेपर में लपेटकर पेपर के सिरों को गोंद से चिपकाकर डिब्बों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन भरपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर एओ–152 गोंद से नियमानुसार प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाकर प्रत्येक डिब्बे को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह चपडी से सील मोहर करके चारों डिब्बों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द डिब्बा एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफे में सील मोहर कर, आउटर कवर में सील बन्द डिब्बा व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री पुरूषोत्तम लाल वार्ड बॉय कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी गंगापुर सिटी के द्वारा दिनांक 19.09.2016 को खाद्य विशलेषक कोटा (राजस्थान) के यहां जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। बाकि बचे नमूने के दो सील बन्द डिब्बे (ii व iii पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक सील बन्द डिब्बा (iv पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनांक 19.09.2016 को स्वयं के द्वारा अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन भरतपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन भरतपुर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/4787–88 दिनांक 28.12.2016 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

द्वारा उक्त नमूने की खाद्य विशलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 221/FSSA/Kota /Act/2016 /381 दिनांक 13.12.2016 खाद्य कारोबारकर्ताओं को रजिस्टर्ड डाक से भेजते हुये एक प्रति मुझे दी जिसके अनुसार उक्त खाद्य वस्तु मिर्च पाउडर तीखालाल (एवरेस्ट) 500 ग्राम पैक का नमूना मिथ्याछाप **(Misbranded U/S3(1)(zf))(c)(i) of FSSA 2006)** प्रकृति का पाया गया। मूल पत्र मय रजिस्ट्री रसीद व जांच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त प्रकरण में खाद्य कारोबारकर्ताओं ने मिथ्याछाप **(Misbranded Food)** प्रकृति की खाद्य वस्तु मिर्च पाउडर तीखालाल (एवरेस्ट) 500 ग्राम पैक **Not Labeled Accordance to the Regulation No. 2.2.2(b) of FS&S (Packaging & Labelling) Regulation 2011.** विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त सं0 1 लगायत 3 मय अभिभाषक होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने मिथ्याछाप **(Misbranded Food)** प्रकृति की खाद्य वस्तु मिर्च पाउडर तीखालाल (एवरेस्ट) 500 ग्राम पैक **Not Labeled Accordance to the Regulation No. 2.2.2(b) of FS&S (Packaging & Labelling) Regulation 2011.** विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य वस्तु मिर्च पाउडर तीखालाल (एवरेस्ट) 500 ग्राम किसी तरह से मिथ्या छाप प्रकृति का नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई नमूने संबंधीत कार्यवाही अभियुक्तगण के समक्ष नहीं की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उक्त सैम्पल लेने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नोटिफिकेशन दिनांक 25.07.2011 के आधार पर कम सं0 44 पर लैब टेक्नीशियन के रूप में पदस्थापित व्यक्ति रहा है, जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये आवश्यक ट्रेनिंग उक्त श्री प्रेमचन्द्र जैन ने ली हो ऐसा ही कोई रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है, साथ ही अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त सं0 1 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ ना तो निर्मित होता है, ना ही पैकिंग होता है, साथ ही अभियुक्त सं0 1 के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजों से यह साबित होता है कि डी.ओ. के कोड एवं कमांक एओं– 152 की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 221/FSSA/Kota /Act/2016 /381 दिनांक 13.12. 2016 के अनुसार निम्न है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु.नं0 48/18 (2018/00046) सरकार बनाम भगवत प्रसाद गुप्ता व अन्य

I found the sample to be "Salt, Spices, Condiments and Related products" falling under Regulation No. 2.9.3.2 Chilli Powder of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 20-10-2016 to 13-12-2016 and the result of its analysis is given below

Analysis Report:-

(1) Sample description:- Sample is in a sealed and intact Plastic Box HAVING original company pack POLY BAG OF 500GM INGREDIENTS GIVEN BUT NOT AS PER REGULATIONS.. Contravention Regulation No.2.2.2(b) of Food Safety & Standards (Packaging and selling) Regulation 2011.

(2)Physical appearance-Red coloured powder.

(3) Label:-

1. Brand name------------------------------Everest Tikhalal Chilli Powder
2. Batch No.--------------------------------(R)0138 FSSAI Lie. No. 10012021000464
3. Date of Mfg./Pkg---------------------07-08-16
4. Best before---------------------------08/17
5. Symbol for veg non veg-------------Green symbol given
6. Name and address of wift./Pkr------Rashi Agro Industries PVT. LTD. 31/13, Gungadevi Road Umer Gaon-396170, Gujarat.

SL.N0	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Fod Products standarde and Food additive Regalations, 2011 (b) As per lahel declareli f Proprietary food (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulatinus for both the above
1	Moisture.	Manual of method of analysis of food by D.G.H.S. New Delhi	6.31% by weight.	Not more than 11.0% by weight
2	Total ash on dry basis	-----do---------	5.948% by weight	Not more than 8.0% by weight
3	Ash insoluble in dilutedo Hel on dry basis	-----do---------	0.98% by weight	Not more than 1.3% by weight
4	Non-Volatile ether extract on dry basis.	-----do---------	16.23% by weight	Not less than 12.0% by weight
5	Mould, Living and dead insect, insect fragments, rodent contamination.	-----do---------	Absent	Absent
6	Added colouring matter	-----do---------	Absent	Absent

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु.नं0 48/18 (2018/00046) सरकार बनाम भगवत प्रसाद गुप्ता व अन्य

सरकार द्वारा अधिकृत किये जाने खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा की रिपोर्ट में खाद्य वस्तु मिर्च पाउडर तीखालाल (एवरेस्ट) 500 ग्राम मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। लेकिन उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर तीखालाल (एवरेस्ट) 500 ग्राम किस आधार पर मिथ्याछाप **(Misbranded Food)** है। इस संबंध में आवेदक द्वारा किसी प्रकार की व्याख्या नहीं की है। ना ही आवेदक यह सिद्व कर पाया कि लेवल किस आधार पर **the Regulation No. 2.2.2(b) of FS&S (Packaging & Labelling) Regulation 2011** के अर्न्तगत मिसब्राण्ड प्रकृति का है।

आवेदक स्वयं के द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र किस आधार पर प्रस्तुत किया है। सिद्ध करने में असमर्थ होने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कंम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 26.02.2026 को सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, **RAS**)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.10 17:11:24 IST
Reason: SelfAttested